न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 13/2010

अर्जुन सिंह पुत्र श्री गिरधारीलाल जी आदरा जाति मेघवाल निवासी डिग्गी चूनपच मौहल्ला, ब्यावर जिला–अजमेर (राज0) .....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर
2. श्री रामू उर्फ रमाकांत
3. श्री नेमीचन्द

पुत्रगण श्री महावीरप्रसाद जाति साधू निवासीगण दिवाकर भवन, बालाजी का मंदिर के पास, नृसिंहपुरा तहसील ब्यावर बहैसियत स्वयं व वैध उत्तराधिकारी श्रीमती सीतादेवी पत्नि श्री महावीर प्रसाद जाति साधू। ..... रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री घनश्यामसिंह लखावत अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स सं0 02, 03
3. श्री शुभकरण सिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 04.01.2018

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसील ब्यावर के राजस्व ग्राम नृसिंहपुरा स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 287 रकबा 05 बिस्वा किस्म बाडा में से 2/3 हिस्से का नामान्तरकरण अपने पक्ष में स्वीकृत करने बाबत श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री गिरधारी लाल आदरा जाति मेघवाल निवासी डिग्गी चूनापच मौहल्ला ब्यावर द्वारा दिनांक 13.01.2010 को एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार ब्यावर के समक्ष इस आधार पर प्रस्तुत किया कि विवादित खसरा नम्बर में से 2/3 हिस्सा प्रार्थी द्वारा भूमि के रेकार्डेड खातेदार श्री रमाकान्त उर्फ रामू पुत्र श्री महावीर प्रसाद व श्रीमती सीतादेवी पत्नी श्री महावीर प्रसाद दोनो जाति साधू निवासीगण ग्राम नृसिंहपुरा तहसील ब्यावर से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.11.1997 से क्रय कर क्रयशुदा भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। अतः क्रयशुदा भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत किया जावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार ब्यावर द्वारा बाद जांच अपने आदेश दिनांक 17.02.2010 से प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 17.02.2010 से अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। बरवक्त बहस अभिभाषक अपीलान्ट के उपस्थित नहीं रहने के कारण न्यायहित में अपील मीमों का अवलोकन किया गया।

अपील मीमो में अंकितानुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपील मीमों में आगे अंकित किया गया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 287 रकबा 5 बिस्वा किस्म बाडा जमाबन्दी संवत् 2060–2063 में श्री नेमीचन्द, श्री रामू उर्फ रमाकान्त पुत्रगण श्री महावीर प्रसाद व श्रीमती सीतादेवी पत्नी श्री महावीर प्रसाद जाति साधू के नाम, खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है। श्री रामू उर्फ रमाकान्त व श्रीमती सीतादेवी द्वारा उक्त भूमि में से अपना 2/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.11.1997 से राशि रूपये 50,000/– प्राप्त कर विक्रय कर दिया। क्रय दिनांक से अपीलान्ट अपने क्रयशुदा हिस्से पर बहैसियत

04/01/18
जिला कलक्टर
अजमेर

खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है। विक्रेता श्रीमती सीतादेवी की दिनांक 12.10.2004 को मृत्यु हो जाने के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के द्वारा अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये पंजीकृत विक्रय पत्र को छिपाते हुए मृतका की विरासत का नामान्तरकरण दिनांक 06.01.2007 से अपने नाम स्वीकृत करवा लिया। अपीलान्ट द्वारा अपनी क्रयशुदा भूमि का विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर निरस्त कर दिया कि विक्रेता रामू उर्फ रमाकान्त का नाम जमाबंदी व विक्रय पत्र में भिन्न है तथा दस्तावेज में क्रयशुदा भूमि का प्रयोजन आवासीय है। अपीलान्ट ने अपील मीमों में आगे अंकित किया है कि विक्रेता के नाम में भिन्नता बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के द्वारा दिनांक 04.02.2010 को स्वंय का शपथ पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आश्य का प्रस्तुत किया गया था कि दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। विक्रय पत्र में रामू उर्फ रमाकान्त की जगह रमाकान्त उर्फ रामू अंकित करने से कोई अन्तर नहीं पड़ता है जबकि उसकी वल्दियत व जाति एक समान व सही अंकित है। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में आवासीय दर्ज नहीं है। पटवारी रिपोर्ट में भी पटवारी द्वारा विवादित भूमि के 2/3 हिस्से में अपीलान्ट का कब्जा माना है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर आक्षेपीय आदेश पारित करने में भारी वैद्यानिक त्रूटि की है। उन्हौने अपील मीमों में यह भी अंकित किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को अपीलान्ट के नामान्तरकरण प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है। अन्त में उन्हौने अंकित किया है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जाकर पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर विवादित भूमि में से 2/3 हिस्से का नामान्तरकरण अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकृत किया जावें।

वकील रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। जमाबन्दी सवंत् 2060–2063 व पंजीकृत विक्रय पत्र में विक्रेता रामू उर्फ रमाकान्त के नाम में भिन्नता होने के साथ ही विक्रय पत्र में विवादित भूमि तहसील ब्यावर की आबादी में होना तथा प्रयोजन आवासीय अंकित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट इसी आधार पर निरस्त की जावें।

हमने अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। रिकार्ड पत्रावली का अपील मीमो के अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबन्दी एवं विक्रय पत्र में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम में भिन्नता है तथा विक्रय पत्र में क्रयशुदा भूमि आवासीय अंकित की गई है। अपीलान्ट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। इसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलान्ट पोषणीय नहीं होने से निरस्त की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.01..2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

04/1/18

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर